


8-8-23

पत्रावली पेश हुई।
प्राचीनी अधिवक्ता उपनिषत्।
मूल अपील का फैसला हो चुका है।
अब इस प्राचीन पत्र का कोई औचित्य
नहीं रहा है। अतः इस प्राचीन पत्र का
इसी तरह पर खारीज किया जाता है।
पत्रावली फैसल सुमा होकर दायित्व
दफ्तर हो।


उपनिषत् अधिकारी
प्राचीन (वि. सं. सं. सं.)

